अध्याय 5: राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम

इस अध्याय में सरकारी कंपनियों, सांविधिक निगमों और सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियों के वित्तीय निष्पादन पर चर्चा की गई है। वर्ष 2022-23 (या पूर्व के वर्षों के वित्तीय विवरण जिन्हें वर्तमान वर्ष के दौरान अंतिम रूप दिया गया था) के दौरान भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा निष्पादित राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के वित्तीय विवरण की अनुपूरक लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप जारी की गई महत्वपूर्ण टिप्पणियों के प्रभाव की भी इस अध्याय में चर्चा की गई है।

5.1 सरकारी कंपनी की परिभाषा

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम 2013) की धारा 2(45) के अनुसार, सरकारी कंपनी से तात्पर्य ऐसी कंपनी से है जिसमें प्रदत्त शेयर पूंजी का कम से कम 51 प्रतिशत भाग केन्द्र सरकार, या किसी भी राज्य सरकार या सरकारों या आंशिक रूप से केन्द्र सरकार के द्वारा या आंशिक रूप से एक अथवा एक से अधिक राज्य सरकारों द्वारा धारित हो एवं इसमें एक कंपनी, जो सरकारी कंपनी की सहायक कंपनी हो, भी सम्मिलित है।

इसके अलावा, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार या सरकारों या आंशिक रूप से केंद्र सरकार और आंशिक रूप से एक या अधिक राज्य सरकारों के स्वामित्व वाली या नियंत्रित किसी भी अन्य कंपनी[1] को इस प्रतिवेदन में सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियों के रूप में संदर्भित किया जाता है।

5.2 लेखापरीक्षा अधिदेश

सरकारी कंपनियों और सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियों की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के अधिनियम, 1971 की धारा 19 और उसके अधीन बनाए गए विनियमों के साथ पठित कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(5) से 143(7) के प्रावधानों के अंतर्गत की जाती है। कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत नियंत्रक-महालेखापरीक्षक कंपनियों के सांविधिक लेखापरीक्षकों के रूप में चार्टर्ड एकाउंटेंट्स को नियुक्त करता है और खातों की लेखापरीक्षा करने के तरीके पर निर्देश देता है। इसके अलावा, नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को कंपनी के वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखापरीक्षा करने का अधिकार है। सांविधिक निगमों की लेखापरीक्षा उनके संबंधित विधान द्वारा शासित होती है। हरियाणा राज्य भंडारण निगम और हरियाणा वित्तीय निगम के संबंध में, लेखापरीक्षा चार्टर्ड एकाउंटेंट्स द्वारा की जाती है और अनुपूरक लेखापरीक्षा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा की जाती है।

---

[1] कंपनी (कठिनाइयों को दूर करना) सातवां आदेश, 2014 कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा राजपत्र अधिसूचना दिनांक 4 सितंबर 2014 के माध्यम से जारी किया गया।

5.3 राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम तथा राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में उनका योगदान

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में राज्य सरकार की कंपनियां तथा सांविधिक निगम सम्मिलित हैं। लोक कल्याण को ध्यान में रखते हुए वाणिज्यिक प्रकृति की गतिविधियों के लिए राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम स्थापित किए जाते हैं जो राज्य की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। 31 मार्च 2023 तक, राज्य में 37[2] राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम थे। इनमें दो[3] सांविधिक निगम और 29 सरकारी कंपनियां (तीन निष्क्रिय सरकारी कंपनियों[4] सहित) तथा सरकार नियंत्रित छः अन्य कंपनियां थी, जो सभी नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के अंतर्गत हैं। इन राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के नाम ***परिशिष्ट 5.1*** में दिए गए हैं।

एक राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम यथा हरियाणा वित्तीय निगम स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध है। राज्य में तीन[5] निष्क्रिय राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (परिसमापन के अधीन एक सहित) हैं। 31 मार्च 2023 को इन निष्क्रिय राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों में राज्य का कुल पूंजीगत निवेश ₹ 11.13 करोड़ था। एक[6] राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम की परिसमापन प्रक्रिया 19 वर्षों से चल रही है और अभी भी पूरी होनी बाकी है। सरकार इन निष्क्रिय राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों को शीघ्र बंद करने पर विचार करे क्योंकि ये निवेश राज्य की आर्थिक वृद्धि में कोई योगदान नहीं देते हैं।

सकल राज्य घरेलू उत्पाद से राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के टर्नओवर का अनुपात राज्य की अर्थव्यवस्था में राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों की गतिविधियों के योगदान को दर्शाता है। कार्यरत राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के टर्नओवर का विवरण ***परिशिष्ट 5.2*** में दिया गया है। 31 मार्च 2023 को समाप्त होने वाले तीन वर्षों की अवधि के लिए राज्य के कार्यरत सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के टर्नओवर और सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.) का विवरण ***तालिका 5.1*** में दिया गया है।

---

2 इस अध्याय में 31 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के विवरणों पर चर्चा की गई है क्योंकि तीन राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों अर्थात् फरीदाबाद सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड, करनाल स्मार्ट सिटी लिमिटेड और हरियाणा कौशल रोजगार लिमिटेड के प्रथम लेखे उनके गठन के बाद से अब तक प्राप्त नहीं हुए हैं। इसके अलावा, तीन अकार्यरत राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों अर्थात् हरियाणा मिनरल्स लिमिटेड, हरियाणा राज्य लघु सिंचाई एवं नलकूप निगम लिमिटेड और हरियाणा राज्य आवास वित्त निगम लिमिटेड के विवरण शामिल नहीं किए गए हैं।

3 हरियाणा वित्तीय निगम और हरियाणा राज्य भंडारण निगम।

4 अकार्यरत सरकारी कंपनी का मतलब एक ऐसी कंपनी है जो पिछले दो वित्तीय वर्ष में कोई भी व्यवसाय या संचालन नहीं कर रही है, या उसने कोई महत्वपूर्ण लेखांकन लेनदेन नहीं किया है या वित्तीय विवरण और वार्षिक रिटर्न दाखिल नहीं किया है।

5 हरियाणा मिनरल्स लिमिटेड (2001-02 से निष्क्रिय), हरियाणा राज्य लघु सिंचाई एवं नलकूप निगम लिमिटेड (जुलाई 2002 से निष्क्रिय) और हरियाणा राज्य आवास वित्त निगम लिमिटेड (2003-04 से निष्क्रिय)।

6 हरियाणा राज्य आवास वित्त निगम लिमिटेड।

तालिका 5.1: हरियाणा के राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के टर्नओवर के सापेक्ष सकल राज्य घरेलू उत्पाद का विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	2020-21	2021-22	2022-23
टर्नओवर			
ऊर्जा क्षेत्र के राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम	32,216	37,657	53,726
वित्त क्षेत्र के राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम	19	49	56
सेवा क्षेत्र के राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम	354	414	417
अवसंरचना क्षेत्र के राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम	3,466	2,279	2,363
अन्य राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम	2,814	652	660
कुल	38,869	41,051	57,222
हरियाणा का सकल राज्य घरेलू उत्पाद	7,58,507	8,95,672	9,94,154
हरियाणा के सकल राज्य घरेलू उत्पाद से टर्नओवर की प्रतिशतता			
ऊर्जा क्षेत्र के राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम	4.24	4.20	5.40
वित्त क्षेत्र के राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम	0.002	0.005	0.006
सेवा क्षेत्र के राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम	0.05	0.05	0.04
अवसंरचना क्षेत्र के राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम	0.46	0.25	0.24
अन्य राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम	0.37	0.07	0.07
कुल	**5.12**	**4.58**	**5.76**

स्रोत: आर्थिक और सांख्यिकीय विश्लेषण विभाग, हरियाणा सरकार द्वारा वर्ष-दर-वर्ष तुलना के लिए किए गए संबंधित वर्षों की वर्तमान कीमतों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद के आंकड़े (अग्रिम अनुमान) तथा राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के नवीनतम अंतिम खातों के अनुसार टर्नओवर के आंकड़ों पर आधारित संकलन।

राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों का योगदान 2021-22 में 4.58 प्रतिशत से बढ़कर 2022-23 में 5.76 प्रतिशत हो गया। 2022-23 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में ऊर्जा क्षेत्र के राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों का योगदान ₹ 53,726 करोड़ (5.40 प्रतिशत) था। तथापि अन्य सभी क्षेत्रों का योगदान न्यूनतम ₹ 3,496 करोड़ (0.36 प्रतिशत) था, लेकिन उनके पास 2919 कर्मचारियों (प्रतिनियुक्ति/ अनुबंध के आधार पर शामिल सहित) का स्टाफ था। 31 मार्च 2023 तक, राज्य सरकार ने अन्य क्षेत्रों के राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों में ₹ 1,077.29 करोड़ (इक्विटी: ₹ 896.41 करोड़ और दीर्घकालिक ऋण: ₹ 180.88 करोड़) का निवेश किया था। इसके अलावा, 2022-23 के दौरान हयिाणा सरकार द्वारा इनमें से नौ राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों को ₹ 336.05 करोड़ का अनुदान और सब्सिडी प्रदान की गई।

5.4 राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में निवेश एवं बजटीय सहायता

5.4.1 राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में इक्विटी होल्डिंग और ऋण

31 मार्च 2023 तक 31 कार्यरत राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों में कुल इक्विटी एवं राज्य सरकार द्वारा इक्विटी अंशदान और राज्य सरकार द्वारा दिए गए ऋणों सहित दीर्घकालिक ऋणों की क्षेत्रवार स्थिति ***तालिका 5.2*** में दी गई है।

तालिका 5.2: राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों में क्षेत्रवार निवेश

क्षेत्र का नाम	निवेश (₹ करोड़ में)					कुल इक्विटी एवं दीर्घकालिक ऋणों की प्रतिशतता
	कुल इक्विटी	राज्य सरकार की इक्विटी	कुल दीर्घकालिक ऋण	राज्य सरकार के ऋण	कुल इक्विटी एवं दीर्घकालिक ऋण	
ऊर्जा	36,781.25	35,651.99	10,982.04	0	**47,763.29**	**88.50**
वित्त	322.05	291.38	119.77	0	**441.82**	**0.82**
सेवा	149.32	77	0	0	**149.32**	**0.28**
अवसंरचना	1,827.94	518.25	3,620.2	112.94	**5,448.14**	**10.09**
अन्य	17.74	9.78	150.73	67.94	**168.47**	**0.31**
कुल	**39,098.30**	**36,548.40**	**14,872.74**	**180.88**	**53,971.04**	**100.00**

स्रोत: राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों द्वारा प्रदान की गई जानकारी।

निवेश का जोर ऊर्जा क्षेत्र के राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों पर था, जिन्हें 31 मार्च 2023 तक ₹ 53,971.04 करोड़ के कुल निवेश का 88.50 प्रतिशत (₹ 47,763.29 करोड़) प्राप्त हुआ था। ₹ 53,971.04 करोड़ के कुल निवेश में राज्य सरकार की हिस्सेदारी 68.05 प्रतिशत (₹ 36,729.28 करोड़) थी।

31 मार्च 2023 तक राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के बकाया दीर्घकालिक ऋणों के विश्लेषण से यह देखा गया था कि एक राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम अर्थात हरियाणा एग्रो इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) से गोदाम के निर्माण के लिए ₹ 12.84 करोड़ के चार ऋण लिए (मार्च 2013 से मार्च 2014)। ये ऋण अप्रैल 2015/ अप्रैल 2016 से पांच समान त्रैमासिक किस्तों में चुकाए जाने थे। तथापि, इन ऋणों का भुगतान नहीं किया गया और 31 मार्च 2023 तक अतिदेय राशि ₹ 24.75 करोड़ (मूलधन: ₹ 12.84 करोड़ और ब्याज: ₹ 11.91 करोड़) थी।

5.4.2 बजटीय सहायता

हरियाणा सरकार वार्षिक बजट के माध्यम से विभिन्न रूप में राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। मार्च 2023 को समाप्त पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों[7] के संबंध में इक्विटी, ऋण, अनुदान/सब्सिडी, चुकाए गए/बट्टे खाते में डाले गए ऋण और इक्विटी में परिवर्तित ऋण के लिए बजटीय व्यय का सारांश विवरण ***तालिका 5.3*** में दिया गया है।

तालिका 5.3: वर्षों के दौरान राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों को बजटीय सहायता के संबंध में विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	2020-21		2021-22		2022-23	
	रा.सा.क्षे.उ. की संख्या	राशि	रा.सा.क्षे.उ. की संख्या	राशि	रा.सा.क्षे.उ. की संख्या	राशि
(i) जावक इक्विटी पूंजी	6	631.67	4	151.93	9	200.12
(ii) दिए गए ऋण	5	104.98	5	101.09	4	407.76
(iii) प्रदान किए गए अनुदान/ सब्सिडी	7	438.52	8	442.54	9	336.05
कुल जावक (i+ii+iii)		**1175.17**				**943.93**
ऋण चुकौती/बट्टे खाते में डालना	4	254.66	6	245.72	3	297.70
इक्विटी में परिवर्तित ऋण	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
जारी की गई गारंटी	5	3,793.00	6	2,336.85	5	2,650.16
गारंटी प्रतिबद्धता	8	8,698.72	9	9,148.73	9	11,447.93

स्रोत: राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों द्वारा प्रदान की गई जानकारी।

5.4.3 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों में इक्विटी निवेश का बाजार पूंजीकरण

बाजार पूंजीकरण सूचीबद्ध कंपनियों के शेयरों के बाजार मूल्य का प्रतिनिधित्व करता है। केवल एक राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम अर्थात हरियाणा वित्तीय निगम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध है। यद्यपि हरियाणा वित्तीय निगम एक सूचीबद्ध इकाई है परंतु इसने मई 2010 से कोई नया ऋण स्वीकृत नहीं किया है और निगम के शेयरों की अंतिम ट्रेडिंग 13 जुलाई 2011 को ₹ 24.65 के मूल्य पर हुई थी।

[7] 2022-23 के दौरान निष्क्रिय कंपनियों में कोई निवेश नहीं किया गया/को कोई बजटीय सहायता नहीं दी गई।

5.4.4 विनिवेश, पुनर्गठन और निजीकरण

वर्ष 2022-23 के दौरान, राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के निजीकरण का कोई मामला नहीं था। राज्य सरकार ने राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों में निवेशित राज्य सरकार की इक्विटी के विनिवेश संबंधी कोई नीति तैयार नहीं की है।

5.5 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों से रिटर्न

5.5.1 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों द्वारा अर्जित लाभ

2022-23 के दौरान उपलब्ध अपने नवीनतम वित्तीय विवरणों में लाभ की सूचना देने वाले राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों[8] की संख्या 2021-22 में 20 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों की तुलना में घटकर 19 रह गई। अर्जित लाभ 2021-22 में ₹ 648.75 करोड़[9] से बढ़कर 2022-23 में ₹ 1,049.20 करोड़ हो गया। लाभ अर्जित करने वाले राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों का इक्विटी पर रिटर्न (आरओई) 2022-23 में 6.73 प्रतिशत रहा, जबकि 2021-22 में यह 10.32 प्रतिशत था। नवीनतम वित्तीय विवरणों के अनुसार 2022-23 में सभी 31 कार्यरत राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों का इक्विटी पर रिटर्न 6.45 प्रतिशत था।

अपने नवीनतम उपलब्ध वित्तीय विवरणों के अनुसार, लाभ अर्जित करने वाले शीर्ष तीन राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों का उल्लेख नीचे ***तालिका 5.4*** में किया गया है।

तालिका 5.4: शीर्ष तीन राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम जिन्होंने वर्ष 2022-23 के दौरान लाभ में योगदान दिया

राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम का नाम	अर्जित निवल लाभ (₹ करोड़ में)	राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के कुल लाभ से लाभ की प्रतिशतता
हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड	396.02	37.74
हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड	171.03	16.30
दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड	127.18	12.12
कुल	**694.23**	**66.16**

उपर्युक्त तीन राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों ने अकेले 2022-23 के दौरान 19 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों द्वारा अर्जित कुल लाभ (₹ 1,049.20 करोड़) में 66.16 प्रतिशत का योगदान दिया था।

क्षेत्रवार निवल लाभ अनुपात[10] ***तालिका 5.5*** में दर्शाया गया है।

---

8 एक राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम अर्थात फरीदाबाद स्मार्ट सिटी लिमिटेड को छोड़कर जिसके वार्षिक लेखे 2020-21 के लिए कोई लाभ और हानि नहीं है।

9 अन्य व्यापक आय/व्यय के प्रभाव पर विचार करने के बाद राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के लाभ के आंकड़े लिए गए हैं।

10 निवल लाभ अनुपात = निवल लाभ/टर्नओवर * 100

तालिका 5.5: वर्ष 2022-23 के दौरान राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों का क्षेत्रवार निवल लाभ अनुपात

(₹ करोड़ में)

क्षेत्र	निवल लाभ	टर्नओवर	निवल लाभ अनुपात (प्रतिशत में)
ऊर्जा	731.07	53,726.37	1.36
वित्त	28.92	56.33	51.34
सेवा	11.19	416.64	2.69
अवसंरचना	205.29	2,362.59	8.69
अन्य	21.68	659.86	3.29
कुल	**998.15**	**57,221.79**	**1.74**

स्रोत: राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों का नवीनतम वित्तीय विवरण।

5.5.2 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों द्वारा लाभांश का भुगतान

नौ राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए अपने लेखों को अंतिम रूप दिया और ₹ 750.67 करोड़ का लाभ सूचित किया। राज्य सरकार ने दिशानिर्देश तैयार किए थे (अक्तूबर 2003) जिसके अंतर्गत सभी राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों को राज्य सरकार की भुगतान की गई शेयर पूंजी पर न्यूनतम चार प्रतिशत का रिटर्न देना अपेक्षित है। आगे, वित्त मंत्री, हरियाणा सरकार ने वर्ष 2023-24 के अपने बजट भाषण में यह भी प्रस्ताव रखा कि वर्ष 2022-23 के लिए लाभ में रहने वाले राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम अपने लाभ का 25 प्रतिशत राज्य सरकार को अंतरित करेंगे ताकि सरकार अपने विकास लक्ष्य को पूरा कर सके। नौ राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों में से सात राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए लाभ दर्ज किया। तथापि, केवल एक राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड) ने ₹ 25 करोड़ (लाभ का 0.63 प्रतिशत) का लाभांश घोषित किया।

तीन[11] राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए वर्ष 2022-23 के दौरान घोषित अपने परिणामों में ₹ 41.38 करोड़ के निवल लाभ के विरूद्ध ₹ 4.84 करोड़[12] का लाभांश घोषित किया। तीन वर्षों में लाभांश भुगतान की स्थिति का विवरण ***तालिका 5.6*** में दिया गया है:

तालिका 5.6: राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों द्वारा लाभांश भुगतान

(₹ करोड़ में)

वर्ष	क्षेत्र	लाभांश घोषित करने वाले राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों की संख्या	प्रदत्त पूंजी	निवल लाभ	घोषित लाभांश
2020-21	सेवा	1	5.00	4.73	0.20
	अन्य	1	5.84	58.68	8.80
	कुल	**2**	**10.84**	**63.41**	**9.00**
2021-22	अन्य	2	6.04	112.50	16.52
	कुल	**2**	**6.04**	**112.50**	**16.52**
2022-23	ऊर्जा	1	3,990.15	396.02	25
	अन्य	3	7.60	41.38	4.84
	कुल	**4**	**3,997.75**	**437.40**	**29.84**

स्रोत: राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों द्वारा प्रदान की गई जानकारी।

[11] हरियाणा वन विकास निगम लिमिटेड, हरियाणा भूमि सुधार एवं विकास निगम लिमिटेड और हरियाणा भंडारण निगम।

[12] हरियाणा वन विकास निगम लिमिटेड ने ₹ 0.06 करोड़ (30 प्रतिशत) का लाभांश घोषित किया, हरियाणा भूमि सुधार एवं विकास निगम लिमिटेड ने ₹ 0.06 करोड़ (4 प्रतिशत) का लाभांश घोषित किया और हरियाणा राज्य भंडारण निगम ने ₹ 4.72 करोड़ (80.82 प्रतिशत) का लाभांश घोषित किया।

5.5.3 नियोजित पूंजी पर रिटर्न

नियोजित पूंजी पर रिटर्न (आर.ओ.सी.ई.) एक अनुपात है जो किसी कंपनी की लाभप्रदता और उस दक्षता को मापता है, जिसमें इसकी पूंजी नियोजित है। नियोजित पूंजी पर रिटर्न की गणना ब्याज और करों से पहले कंपनी की आय (ई.बी.आई.टी.) को नियोजित पूंजी[13] द्वारा विभाजित करके की जाती है। 2020-21 से 2022-23 की अवधि के दौरान राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के नियोजित पूंजी पर रिटर्न के विवरण ***तालिका 5.7*** में दिए गए हैं।

तालिका 5.7: राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों की नियोजित पूंजी पर रिटर्न

(₹ करोड़ में)

वर्ष	क्षेत्र	ब्याज और करों से पहले आय	नियोजित पूंजी	नियोजित पूंजी पर रिटर्न (प्रतिशत में)
2020-21	ऊर्जा	2,000.14	19,257.73	10.39
	वित्त	14.54	305.78	4.76
	सेवा	(-) 22.87	228.29	(-)10.02
	अवसंरचना	2,281.50	9,085.49	25.11
	अन्य	184.43	40.62	454.04
	कुल	**4,457.74**	**28,917.91**	**15.42**
2021-22	ऊर्जा	2,363.60	19,235.75	12.29
	वित्त	40.38	338.70	11.92
	सेवा	21.79	245.51	8.88
	अवसंरचना	1,051.58	8,057.92	13.05
	अन्य	187.51	81.17	231.01
	कुल	**3,664.86**	**27,959.05**	**13.11**
2022-23	ऊर्जा	3,502.83	21,252.87	16.48
	वित्त	49.52	356.13	13.91
	सेवा	6.50	264.00	2.46
	अवसंरचना	1,073.92	9,824.22	10.93
	अन्य	59.42	25.96	228.89
	कुल	**4,692.19**	**31,723.18**	**14.79**

स्रोत: राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम के नवीनतम वित्तीय विवरण।

सेवा क्षेत्र की नियोजित पूंजी पर रिटर्न को छोड़कर, जो वर्ष 2020-21 के दौरान ऋणात्मक था, समग्र नियोजित पूंजी पर रिटर्न 2020-21 से 2022-23 के दौरान धनात्मक था। इसके अलावा, 2021-22 की तुलना में 2022-23 में सेवा क्षेत्र, अवसंरचना क्षेत्र और अन्य क्षेत्रों की नियोजित पूंजी पर रिटर्न में कमी आई।

5.5.4 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों द्वारा इक्विटी पर रिटर्न

इक्विटी पर रिटर्न वित्तीय निष्पादन का एक माप है जिससे यह गणना की जाती है कि लाभ अर्जित करने के लिए किसी कंपनी की संपत्ति का कितने प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा रहा है। इक्विटी पर रिटर्न की गणना निवल आय (अर्थात् करों के बाद निवल लाभ) को शेयर धारक निधि से विभाजित करके की जाती है। इसे प्रतिशतता के रूप में दर्शाया जाता है एवं यदि निवल आय और शेयरधारकों की निधि दोनों धनात्मक संख्या हैं तो इसकी गणना किसी भी कंपनी के लिए की जा सकती है।

[13] नियोजित पूंजी = प्रदत्त शेयर पूंजी + फ्री रिजर्व एवं अधिशेष + दीर्घ अवधि ऋण - संचित हानि - आस्थगित राजस्व व्यय।

लाभ अर्जित करने वाले 19 कार्यरत राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों का इक्विटी पर रिटर्न (आरओई) 2022-23 में 6.73 प्रतिशत रहा। घाटे में चल रहे 11 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों सहित सभी 31 कार्यरत राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों[14] के संबंध में 2022-23 में इक्विटी पर रिटर्न 6.45 प्रतिशत था।

शेयरधारकों की निधि या निवल मूल्य की गणना संचित हानियों और आस्थगित राजस्व व्यय घटाकर प्रदत्त पूंजी और मुक्त संचय को जोड़कर की जाती है और यह इंगित करता है कि यदि सभी परिसंपत्तियों को बेच दिया जाए और सभी ऋणों का भुगतान कर दिया जाए तो कंपनी के हितधारकों के लिए क्या कुछ बचेगा। धनात्मक निवल मूल्य (शेयरधारकों की निधि) बताता है कि कंपनी के पास अपनी देयताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त परिसंपत्ति है जबकि ऋणात्मक निवल मूल्य का अर्थ है कि देयताएं परिसंपत्ति से अधिक हैं।

कार्यरत राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों से संबंधित शेयरधारकों की निधि और इक्विटी पर रिटर्न का विवरण नीचे ***तालिका 5.8*** में दिया गया है।

तालिका 5.8: राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम से संबंधित इक्विटी पर रिटर्न

(₹ करोड़ में)

वर्ष	क्षेत्र	निवल आय	शेयरधारकों की निधि	इक्विटी पर रिटर्न (प्रतिशत)
2020-21	ऊर्जा	279.18	8,987.57	3.11
	वित्त	11.69	233.04	5.02
	सेवा	(-)35.13	228.29	--
	अवसंरचना	919.68	3,057.17	30.08
	अन्य	97.76	(-)28.25	--
	कुल	**1,273.18**	**12,477.82**	**10.20**
2021-22	ऊर्जा	(-)163.45	9,485.49	--
	वित्त	34	263.78	12.89
	सेवा	32.89	245.51	13.40
	अवसंरचना	177.90	3,411.72	5.21
	अन्य	107.76	3.23	3,336.22
	कुल	**189.10**	**13,409.73**	**1.41**
2022-23	ऊर्जा	731.07	10,270.83	7.12
	वित्त	28.92	271.40	10.66
	सेवा	11.19	264.00	4.24
	अवसंरचना	205.29	4,749.65	4.32
	अन्य	21.68	(-)85.92	--
	कुल	**998.15**	**15,469.96**	**6.45**

स्रोत: राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के नवीनतम वित्तीय विवरण।

वर्ष 2021-22 की तुलना में वर्ष 2022-23 के दौरान राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों का समग्र इक्विटी पर रिटर्न बिजली क्षेत्र के राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों द्वारा अर्जित लाभ के कारण था, तथापि वित्त क्षेत्र के राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों, सेवा क्षेत्र के राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों और अन्य क्षेत्र के राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों की निवल आय में कमी के परिणामस्वरूप 2021-22 की तुलना में वर्ष 2022-23 के दौरान उक्त क्षेत्रों के इक्विटी पर रिटर्न में कमी आई।

[14] इसमें न लाभ न हानि आधार पर कार्य करने वाला एक राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम शामिल है: फरीदाबाद स्मार्ट सिटी लिमिटेड।

5.6 ऋण सर्विसिंग

5.6.1 ब्याज कवरेज अनुपात

ब्याज कवरेज अनुपात का उपयोग किसी कंपनी के बकाया ऋण पर ब्याज का भुगतान करने की क्षमता को निर्धारित करने के लिए किया जाता है और इसकी गणना उसी अवधि के ब्याज व्ययों द्वारा कंपनी की ब्याज एवं करों से पूर्व की आय (ई.बी.आई.टी.) से विभाजित करके की जाती है। अनुपात जितना कम होगा, उधार पर ब्याज का भुगतान करने में कंपनी की क्षमता उतनी ही कम होगी। एक से कम ब्याज कवरेज अनुपात दर्शाता है कि कंपनी ब्याज पर अपने व्ययों को पूरा करने के लिए पर्याप्त राजस्व नहीं जुटा पा रही है। राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों में ब्याज कवरेज अनुपात का विवरण, जिसमें ब्याज का भार था, नीचे दी गई ***तालिका 5.9*** में दिया गया है।

तालिका 5.9: राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों का ब्याज कवरेज अनुपात

(₹ करोड़ में)

वर्ष	क्षेत्र	ब्याज	ब्याज और कर से पूर्व आय (ई.बी.आई.टी.)	सरकार और अन्य वित्तीय संस्थानों से ऋण की देयता वाले राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों की संख्या	एक से अधिक ब्याज कवरेज अनुपात वाली कंपनियों की संख्या	एक से कम ब्याज कवरेज अनुपात वाली कंपनियों की संख्या
2020-21	ऊर्जा	1,222.34	2,000.14	4	4	-
	वित्त	2.80	14.54	2	2	-
	सेवा	1.49	(-)22.87	2	1	1
	अवसंरचना	914.63	2,281.50	3	2	1
	अन्य	103.97	184.43	3	2	1
	कुल	**2,245.23**	**4,457.74**	**14**	**11**	**3**
2021-22	ऊर्जा	1,164.26	2,363.60	4	4	-
	वित्त	2.75	40.38	2	2	-
	सेवा	1.34	(-)1.44	2	0	2
	अवसंरचना	838.53	1,051.58	3	1	2
	अन्य	40.80	187.51	3	2	1
	कुल	**2,047.68**	**3,576.55**	**14**	**9**	**5**
2022-23	ऊर्जा	1,335.83	3,502.83	4	4	-
	वित्त	15.88	23.81	3	3	-
	सेवा	1.34	17.38	2	1	1
	अवसंरचना	841.86	1,038.06	4	2	2
	अन्य	31.39	46.35	3	2	1
	कुल	**2,226.30**	**4,628.43**	**16**	**12**	**4**

स्रोत: राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के नवीनतम वित्तीय विवरण।

यह देखा गया था कि 2022-23 के दौरान बिजली और वित्त क्षेत्रों से संबंधित राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों का ब्याज कवरेज अनुपात एक से अधिक था। तथापि, सेवा, अवसंरचना और अन्य क्षेत्र के राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के मामले में, केवल पांच राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों का ब्याज कवरेज अनुपात एक से अधिक था और शेष चार राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों का ब्याज कवरेज अनुपात एक से कम था। इस प्रकार, ये राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम ब्याज पर अपने खर्चों को पूरा करने के लिए पर्याप्त राजस्व का सृजन नहीं कर रहे थे।

5.7 हानि उठाने वाले राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम

5.7.1 उठाई गई हानियां

वर्ष 2022-23 के दौरान अपने नवीनतम अंतिमकृत लेखों के अनुसार 11[15] राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों ने घाटे की सूचना दी। पिछले तीन वर्षों के दौरान घाटे की रिपोर्ट करने वाले राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों की स्थिति नीचे ***तालिका 5.10*** में दी गई है।

तालिका 5.10: 2020-21 से 2022-23 के दौरान हानि वहन करने वाले राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों की संख्या

(₹ करोड़ में)

वर्ष	क्षेत्र	हानि वहन करने वाले राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों की संख्या	वर्ष के लिए निवल हानि	संचित लाभ/हानि	निवल मूल्य[16]	प्रदत्त पूंजी
2020-21	ऊर्जा	2	357.50	547.54	7,725.98	7,178.44
	वित्त	1	1.85	(-)109.34	98.32	207.66
	सेवा	4	63.51	(-)51.38	36.39	87.77
	अवसंरचना	3	2.82	(-)4.07	21.13	25.20
	अन्य	1	0.03	(-)0.04	0.96	1.00
	कुल	**11**	**425.71**	**382.71**	**7,882.78**	**7,500.07**
2021-22	ऊर्जा	2	426.49	(-)159.14	7,019.3	7,178.44
	वित्त	-	-	-	-	-
	सेवा	2	9.04	(-)4.11	36.76	40.87
	अवसंरचना	3	10.41	(-)11.88	241.36	253.24
	अन्य	2	13.71	(-)182.61	(-)177.47	5.14
	कुल	**9**	**459.65**	**(-)357.74**	**7,119.95**	**7,477.69**
2022-23	ऊर्जा	-	-	-	-	-
	वित्त	1	0.01	(-)0.14	16.47	16.61
	सेवा	6	21.43	(-)69.56	35.60	105.16
	अवसंरचना	2	5.93	(-)13.69	43.22	56.91
	अन्य	2	23.68	(-)210.31	(-)205.17	5.14
	कुल	**11**	**51.05**	**(-)293.70**	**(-)109.88**	**183.82**

स्रोत: राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के नवीनतम वित्तीय विवरण।

2022-23 के दौरान अपने नवीनतम वित्तीय परिणामों के अनुसार 11 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों द्वारा उठाई गई ₹ 51.05 करोड़ की कुल हानि में से ₹ 23.68 करोड़[17] (46.39 प्रतिशत)

---

15 (i) हरियाणा महिला विकास निगम (ii) हारट्रोन इंफॉर्मेटिक्स लिमिटेड, (iii) गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन सिटी बस लिमिटेड (iv) हरियाणा रोडवेज इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड (v) हरियाणा टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड (vi) ड्रोन इमेजिंग एंड इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ हरियाणा लिमिटेड (vii)) हरियाणा मास रैपिड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (viii) हरियाणा पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड (ix) हरियाणा एग्रो इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड (x) हरियाणा इंटरनेशनल हॉर्टिकल्चरल मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड और (xi) पानीपत प्लास्टिक पार्क हरियाणा लिमिटेड।

16 निवल मूल्य का अर्थ है प्रदत्त शेयर पूंजी और फ्री रिजर्व और अधिशेष के योग में से संचित हानि और आस्थगित राजस्व व्यय को घटाकर प्राप्त कुल राशि। फ्री रिजर्व का अर्थ है लाभ से बनाए गए सभी रिजर्व लेकिन इसमें परिसंपत्तियों के पुनर्मूल्यांकन और मूल्यह्रास प्रावधान को वापस डालने से बनाए गए रिजर्व शामिल नहीं हैं।

17 हरियाणा एग्रो इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड और हरियाणा इंटरनेशनल हॉर्टिकल्चरल मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड।

और ₹ 21.43 करोड़[18] (41.98 प्रतिशत) की हानि क्रमशः अन्य क्षेत्र के राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों और सेवा क्षेत्र के राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों से संबंधित थी।

यह भी अवलोकित किया गया कि 2021-22 में घाटे में रहने वाले नौ राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों में से तीन[19] ने 2022-23 के दौरान लाभ अर्जित किया, जबकि 11 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों में से चार[20] को 2022-23 के दौरान घाटा हुआ, किंतु 2021-22 के दौरान लाभ अर्जित किया था। एक राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (ड्रोन इमेजिंग एंड इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ हरियाणा लिमिटेड) ने 2022-23 के दौरान अपने प्रथम लेखे में घाटा उठाया।

5.7.2 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों में पूंजी का क्षरण

31 मार्च 2023 तक, 15 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम थे जिनमें कुल संचित हानि ₹ 27,876.14 करोड़ थी ***(परिशिष्ट 5.3)***। इनमें से 10[21] राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों ने अपने नवीनतम अंतिमकृत लेखों के अनुसार ₹ 51.05 करोड़ की हानि उठाई।

पांच[22] राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों ने उनके नवीनतम अंतिमकृत लेखों के अनुसार हानि नहीं उठाई थी, यद्यपि उनकी संचित हानि ₹ 27,577.44 करोड़ थी। इन पांच में से विद्युत क्षेत्र के तीन राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (हरियाणा पावर जेनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड) की ₹ 27,489.43 करोड़ की संचित हानियां थी।

31 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों में से चार राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों का निवल मूल्य उनकी संचित हानि से पूरी तरह से नष्ट हो गया था। 31 मार्च 2023 को ₹ 61.94 करोड़ के इक्विटी निवेश के विरूद्ध यह (-) ₹ 214.81 करोड़ था ***(तालिका 5.11)***। पिछले एक से 9 वर्षों की अवधि के लिए निवल मूल्य ऋणात्मक रहा था।

---

18 हारट्रोन इंफॉर्मेटिक्स लिमिटेड, गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन सिटी बस लिमिटेड, हरियाणा रोडवेज इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड, हरियाणा टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ड्रोन इमेजिंग एंड इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ हरियाणा लिमिटेड।

19 (i) हरियाणा पावर जेनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (ii) हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड (iii) हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड।

20 (i) हरियाणा महिला विकास निगम लिमिटेड (ii) हार्ट्रोन इंफॉर्मेटिक्स लिमिटेड (iii) गुड़गांव मेट्रोपॉलिटन सिटी बस लिमिटेड और (iv) पानीपत प्लास्टिक पार्क हरियाणा लिमिटेड।

21 (i) हरियाणा महिला विकास निगम लिमिटेड (ii) गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन सिटी बस लिमिटेड (iii) हरियाणा रोडवेज इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन (iv) हरियाणा टूरिज्म लिमिटेड (v) ड्रोन इमेजिंग एंड इंफॉर्मेशन सर्विसेज (vi) हरियाणा पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन (vii) हरियाणा मास रैपिड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (viii) हरियाणा एग्रो इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड (ix) हरियाणा इंटरनेशनल हॉर्टिकल्चरल मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड और (x) पानीपत प्लास्टिक पार्क हरियाणा लिमिटेड।

22 (i) हरियाणा पावर जेनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (2022-23) (ii) उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड (2022-23) (iii) दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड (2022-23) (iv) हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (2022-23) और (v) हरियाणा वित्तीय निगम (सांविधिक निगम) (2021-22)।

तालिका 5.11: उन राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों का विवरण जिनकी निवल संपत्ति उनके नवीनतम अंतिमकृत लेखों के अनुसार कम हो गई है

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम का नाम	लेखों का नवीनतम वर्ष	प्रदत्त पूंजी	कुल राजस्व	कुल व्यय	ब्याज, कर के बाद निवल लाभ (+)/ हानि (-)	संचित हानि	निवल मूल्य	अवधि जब से निवल मूल्य ऋणात्मक बना हुआ है	31 मार्च 2023 को राज्य सरकार की इक्विटी	31 मार्च 2023 को राज्य सरकार के ऋण
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	हरियाणा एग्रो इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड[23]	2021-22	4.14	111.22	132.94	(-) 22.99	(-) 208.53	(-) 204.39	2013-14	2.54	0
2	गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन सिटी बस लिमिटेड[24]	2021-22	50	120.34	123.40	(-) 2.64	(-) 57.47	(-) 7.47	2019-20	0	0
3	हरियाणा रोडवेज इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन[25]	2021-22	6.8	13.52	21.19	(-) 5.82	(-) 8.97	(-) 2.17	2021-22	6.85	0
4	हरियाणा इंटरनेशनल हॉर्टिकल्चरल मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड[26]	2022-23	1.00	0.44	1.12	(-) 0.69	(-) 1.78	(-) 0.78	2021-22	0	0
	कुल		**61.94**	**245.52**	**278.65**	**(-) 32.14**	**(-) 276.75**	**(-) 214.81**		**9.39**	**0**

स्रोत: कॉलम 3 से 9 के संबंध में जानकारी नवीनतम अंतिम रूप दिए गए लेखों के अनुसार और कॉलम 10 एवं 11 के संबंध में संबंधित राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों से प्राप्त जानकारी।

5.8 निवेश के वर्तमान मूल्य के आधार पर रिटर्न

राज्य सरकार के निवेश के वर्तमान मूल्य (पी.वी.) की गणना 27[27] राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों, जहां राज्य सरकार ने इक्विटी/ब्याज मुक्त ऋण और अनुदान/सब्सिडी में निवेश किया है, के संबंध में की गई है ताकि निवेश के ऐतिहासिक मूल्य की तुलना में वर्तमान मूल्य पर रिटर्न/हानि की दर का निर्धारण किया जा सके। 31 मार्च 2023 तक प्रत्येक वर्ष के अंत तक इन निवेशों की ऐतिहासिक लागत को इसके वर्तमान मूल्य तक लाने के लिए राज्य सरकार द्वारा इन राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों में किए गए पिछले निवेश/वर्ष-वार निधियों को राज्य सरकार की प्रतिभूतियों पर वर्ष-वार प्रभारित औसत ब्याज दर पर चक्रवृद्धित किया गया है जिसे संबंधित वर्ष के लिए सरकार की निधियों की न्यूनतम लागत माना गया है।

राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों में राज्य सरकार के निवेश के वर्तमान मूल्य की गणना निम्नलिखित मान्यताओं के आधार पर की गई है:

---

23 कंपनी ने वर्ष 2021-22 के दौरान अपने परिचालन से ₹ 6.62 करोड़ (कार्यचालन पूंजी परिवर्तन से पहले नकद लाभ) का धनात्मक नकदी प्रवाह सृजित किया है।

24 कंपनी ने वर्ष 2021-22 के दौरान अपने परिचालन से ₹ 6.77 करोड़ (कार्यचालन पूंजी परिवर्तन से पहले नकद लाभ) का धनात्मक नकदी प्रवाह उत्पन्न किया है।

25 कंपनी के परिचालन से ₹ 6.42 करोड़ (कार्यचालन पूंजी परिवर्तन से पहले नकद हानि) का ऋणात्मक नकदी प्रवाह है, जिसे मुख्य रूप से अन्य मौजूदा देयताओं के माध्यम से वित्त पोषित किया जा रहा है क्योंकि पिछले वर्ष की तुलना में 2021-22 के दौरान इसमें ₹ 7 करोड़ की वृद्धि हुई है।

26 कंपनी ने अभी तक अपना परिचालन शुरू नहीं किया है।

27 इनमें एक निष्क्रिय राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम अर्थात हरियाणा राज्य लघु सिंचाई और नलकूप निगम लिमिटेड और एक राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम अर्थात हरियाणा कॉनकास्ट लिमिटेड जो वर्ष के दौरान 30 सितंबर 2022 को भंग हो गया, शामिल हैं।

- राज्य सरकार द्वारा राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों में इक्विटी के रूप में दिए गए वास्तविक निवेश के अतिरिक्त, राज्य सरकार द्वारा राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों को दिए गए अनुदान/सब्सिडी (परिचालन और प्रशासनिक खर्चों के लिए) को राज्य सरकार द्वारा निवेश के रूप में माना गया है।
- उन मामलों में जहां राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों को दिए गए ब्याज मुक्त ऋण को बाद में इक्विटी में परिवर्तित कर दिया गया था, इक्विटी में परिवर्तित ऋण की राशि को ब्याज मुक्त ऋण की राशि से काट लिया गया है और उस वर्ष की इक्विटी में जोड़ दिया गया है।
- संबंधित वित्तीय वर्ष के लिए सरकारी उधारों पर ब्याज की औसत दर को वर्तमान मूल्य पर लाने के लिए चक्रवृद्धित दर के रूप में अपनाया गया था क्योंकि वे वर्ष के लिए निधियों के निवेश के प्रति सरकार द्वारा व्यय की गई लागत को दर्शाते हैं और इसलिए इसे सरकार द्वारा किए गए निवेशों पर रिटर्न की न्यूनतम अपेक्षित दर के रूप में माना गया है।

राज्य सरकार के निवेश के वर्तमान मूल्य की गणना के उद्देश्य से 1999-2000 से 2022-23 तक की अवधि को राज्य सरकार के 31 मार्च 2000 के निवेश को 2000-01 के लिए राज्य सरकार का वर्तमान मूल्य पर निवेश माना गया है।

राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों में इक्विटी/ब्याज मुक्त ऋण और अनुदान/सब्सिडी के रूप में राज्य सरकार के निवेश के विवरण राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों में राज्य सरकार के ऐसे निवेश के वर्तमान मूल्य की समेकित स्थिति के साथ ***तालिका 5.12*** में इंगित किए गए हैं:

तालिका 5.12: 1999-2000 से 2022-23 तक सरकारी निवेश का वर्तमान मूल्य (वास्तविक प्रतिफल)

(₹ करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	वर्ष के आरंभ में कुल निवेश का वर्तमान मूल्य	वर्ष के दौरान राज्य सरकार द्वारा निवेशित इक्विटी	वर्ष के दौरान राज्य सरकार द्वारा दिए गए ब्याज मुक्त ऋण	परिचालनात्मक एवं प्रशासनिक खर्चों के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनुदान/सब्सिडी	वर्ष के दौरान कुल निवेश	वर्ष के अंत में कुल निवेश	सरकारी उधारों पर ब्याज की औसत दर (प्रतिशत में)	वर्ष के अंत में कुल निवेश का वर्तमान मूल्य	न्यूनतम अपेक्षित रिटर्न	वर्ष के लिए कुल अर्जन	निवेश पर रिटर्न (प्रतिशत में)
1	2	3	4	5	6=(3+4+5)	7=2+6	8	9=(7x8/100)+7	10=7x8/100	11	12=11/9*100
1999-2000		612.33*	-	49.95	662.28	662.28	12.05	742.09	79.80	(-) 436.59	-
2000-01	742.09	310.48	-	73.50	383.98	1,126.07	11.40	1,254.44	128.37	(-) 221.85	-
2001-02	1,254.44	59.75	-	98.18	157.93	1,412.37	10.50	1,560.66	148.30	(-) 174.72	-
2002-03	1,560.66	125.40	-	77.49	202.89	1,763.55	10.74	1,952.96	189.41	36.70	1.88
2003-04	1,952.96	123.78	-	80.43	204.21	2,157.17	10.20	2,377.20	220.03	236.76	9.96
2004-05	2,377.20	165.41	-	22.23	187.64	2,564.84	8.49	2,782.60	217.75	(-) 368.24	-
2005-06	2,782.60	417.07	-	31.59	448.66	3,231.26	8.95	3,520.46	289.20	(-) 327.89	-
2006-07	3,520.46	789.96	-	25.90	815.86	4,336.32	9.20	4,735.26	398.94	(-) 442.18	-
2007-08	4,735.26	1,002.23	-	83.03	1,085.26	5,820.52	7.43	6,252.97	432.46	(-) 730.53	-
2008-09	6,252.97	951.64	-	67.39	1,019.03	7,272.00	7.82	7,840.68	568.67	(-) 1,070.16	-
2009-10	7,840.68	903.80	-	41.96	945.76	8,786.44	9.29	9,602.70	816.26	(-) 1,406.59	-
2010-11	9,602.70	888.59	-	98.80	987.39	10,590.09	9.22	11,566.50	976.41	(-) 453.63	-
2011-12	11,566.50	594.63	-	167.40	762.03	12,328.53	9.73	13,528.09	1,199.57	(-) 10,096.15	-
2012-13	13,528.09	176.64	-	61.71	238.35	13,766.44	9.86	15,123.81	1,357.37	(-) 3710.51	-
2013-14	15,123.81	102.93	-	94.88	197.81	15,321.62	9.83	16,827.74	1,506.12	(-) 3,943.54	-
2014-15	16,827.74	75.76	-	153.74	229.50	17,057.24	9.33	18,648.69	1,591.44	(-) 2,648.04	-

वित्तीय वर्ष	वर्ष के आरंभ में कुल निवेश का वर्तमान मूल्य	वर्ष के दौरान राज्य सरकार द्वारा निवेशित इक्विटी	वर्ष के दौरान राज्य सरकार द्वारा दिए गए ब्याज मुक्त ऋण	परिचालनात्मक एवं प्रशासनिक खर्चों के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनुदान/सब्सिडी	वर्ष के दौरान कुल निवेश	वर्ष के अंत में कुल निवेश	सरकारी उधारों पर ब्याज की औसत दर (प्रतिशत में)	वर्ष के अंत में कुल निवेश का वर्तमान मूल्य	न्यूनतम अपेक्षित रिटर्न	वर्ष के लिए कुल अर्जन	निवेश पर रिटर्न (प्रतिशत में)
1	2	3	4	5	6=(3+4+5)	7=2+6	8	9=(7x8/100)+7	10=7x8/100	11	12=11/9*100
2015-16	18,648.69	1,638.52	-	4,076.41	5,714.93	24,363.62	8.64	26,468.64	2,105.02	(-) 1,779.65	-
2016-17	26,468.64	1,931.09	-	4,199.98	6,131.07	32,599.71	8.00	35,207.68	2,607.98	63.68	0.18
2017-18	35,207.68	5462.30	-	176.82	5,639.12	40,846.80	8.10	44,155.39	3,308.59	910.95	2.06
2018-19	36,370.39**	13,327.92	-	350.46	13,678.38	50,048.77	8.81	54,458.07	4,409.30	960.37	1.76
2019-20	54,458.07	5,838.78	-	11.15	5,849.93	60,308.00	8.31	65,319.59	5,011.59	968.29	1.48
2020-21	65,319.59	631.67	-	104.78	736.45	66,056.04	6.50	70,349.68	4,293.64	1,273.18	1.81
2021-22	70,349.68	151.93	-	50.31	202.24	70,551.92	7.05	75,525.83	4,973.91	165.39	0.22
2022-23	75,525.83	200.12	-	230.15	430.27	75,956.10	6.72	81,060.35	5,104.25	995.82	1.23
कुल		**35,870.40**	-	**2,643.24#**	**39,125.97#**						

* ₹ 844.23 करोड़ की निवेशित इक्विटी में से ऊर्जा क्षेत्र के राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को अंतरित ₹ 231.90 करोड़ की प्रारंभिक संचित अवशिष्ट हानियों को घटाया गया है। कॉलम संख्या 3, 4 और 10 के संबंध में सूचना को संबंधित वर्षों की मुद्रित लेखापरीक्षा रिपोर्टों से संकलित किया गया है।

** प्रारंभिक शेष में ₹ 7,785 करोड़ का अंतर उदय योजना (2015-16 और 2016-17 के दौरान प्रत्येक वर्ष में ₹ 3,892.50 करोड़) के अंतर्गत प्राप्त अनुदान के कारण था जिसे 2018-19 के दौरान इक्विटी में परिवर्तित किया गया था क्योंकि संबंधित वर्षों के अनुदान में इसका प्रभाव पहले ही पड़ चुका था।

कुल अनुदान में वर्ष 2018-19 के दौरान इक्विटी में परिवर्तित ₹ 7,785 करोड़ शामिल नहीं है।

इन राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों में राज्य सरकार के निवेश का शेष 1999-2000 में ₹ 612.33 करोड़ (निवेश की गई इक्विटी ₹ 844.23 करोड़ घटा ₹ 231.90 करोड़ की प्रारंभिक अवशिष्ट संचित हानि) से बढ़कर वर्ष 2022-23 के अंत में ₹ 39,125.97 करोड़ हो गया क्योंकि इस अवधि के दौरान सरकार ने इक्विटी, ब्याज मुक्त ऋण और अनुदान/सब्सिडी के रूप में ₹ 38,513.64 करोड़ का और निवेश किया। 31 मार्च 2023 तक राज्य सरकार के निवेश का वर्तमान मूल्य ₹ 81,060.35 करोड़ परिकलित किया गया।

इन राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों में वर्ष 1999-2000 से 2001-02 और 2004-05 से 2015-16 के लिए कुल आय ऋणात्मक थी जो इंगित करता है कि राज्य सरकार अपनी निधियों की लागत की वसूली नहीं कर सकी। तथापि 2002-03, 2003-04 के दौरान और 2016-17 से 2022-23 के दौरान कुल धनात्मक अर्जन थे, लेकिन वे न्यूनतम अपेक्षित रिटर्न से काफी कम थे। पिछले पांच वर्षों अर्थात् 2018-19 से 2022-23 के लिए निवेश के वर्तमान मूल्य पर रिटर्न 0.22 और 1.81 प्रतिशत के मध्य रहा, जो मुख्य रूप से बिजली वितरण कंपनियों में उज्ज्वल डिस्कॉम आश्वासन योजना (उदय) के अंतर्गत निधियों के निवेश के कारण था।

5.9 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों की लेखापरीक्षा

नियंत्रक-महालेखापरीक्षक सरकारी कंपनी और सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनी के लिए कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 139(5) और (7) के अंतर्गत सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति करते हैं। नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के पास अनुपूरक लेखापरीक्षा करने और सांविधिक लेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर टिप्पणी करने या अनुपूरक लेखापरीक्षा करने का अधिकार है। विधि शासित कुछ निगमों में यह प्रावधान है कि उनके लेखों की लेखापरीक्षा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा की जाए और प्रतिवेदन विधायिका को सौंपा जाए।

5.10 नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 139 (5) में प्रावधान है कि वित्तीय वर्ष प्रारम्भ होने से 180 दिनों की अवधि के भीतर सरकारी कंपनी अथवा सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनी के मामले में सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा की जाए।

वर्ष 2022-23 के लिए उपर्युक्त कंपनियों के सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा सितंबर 2023 तक की गई थी।

5.11 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों द्वारा लेखों का प्रस्तुतीकरण

5.11.1 समय पर प्रस्तुत करने की आवश्यकता

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 394 के अनुसार, किसी सरकारी कंपनी के कामकाज और मामलों की वार्षिक रिपोर्ट उसकी वार्षिक सामान्य बैठक (एजीएम) के तीन माह के भीतर तैयार की जानी चाहिए। वार्षिक रिपोर्ट तैयार होने के तुरंत बाद इसे लेखापरीक्षा प्रतिवेदन और उस पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों या लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के अनुपूरक की प्रति के साथ विधायिका के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए। सांविधिक निगमों को विनियमित करने वाले लगभग समान प्रावधान संबंधित अधिनियम में अधिनियमित है। यह तंत्र राज्य की संचित निधि से कंपनियों में निवेश किए गए सार्वजनिक निधियों के उपयोग पर आवश्यक विधायी नियंत्रण प्रदान करता है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 96 में प्रत्येक कंपनी को प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में एक बार शेयरधारकों के साथ वार्षिक आम बैठक करना अपेक्षित है तथा एक वार्षिक आम बैठक की तारीख और अगली वार्षिक आम बैठक की तारीख के मध्य 15 महीने से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। आगे, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 में प्रावधान है कि वित्तीय वर्ष की लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणी को उक्त वार्षिक आम बैठक में उनके विचार के लिए रखा जाना चाहिए।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 (7) में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 के प्रावधानों का अनुपालन न करने के लिए उत्तरदायी कंपनी के निदेशकों सहित व्यक्तियों पर जुर्माना और कारावास की सजा का प्रावधान है।

विभिन्न राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के वार्षिक लेखे सितंबर 2023 तक लंबित थे, जैसा कि निम्नलिखित अनुच्छेद में बताया गया है।

5.11.2 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों द्वारा लेखों को तैयार करने में समयबद्धता

31 मार्च 2023 तक, नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के अंतर्गत 35 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम थे। इन 35 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों में से, वर्ष 2022-23 के लिए

34 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों (हरियाणा स्टेट हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, जो परिसमापन के अधीन है, को छोड़कर दो निष्क्रिय राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों सहित) के लेखे देय थे। तथापि, केवल नौ राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों ने 30 सितंबर 2023 तक नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को लेखापरीक्षा हेतु अपने वर्ष 2022-23 के लेखे प्रस्तुत किए थे। 25 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के कम से कम 60 लेखे विभिन्न कारणों से बकाया थे, जैसा कि ***परिशिष्ट 5.4*** में विवरण दिया गया है। इनमें तीन राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के तीन लेखे शामिल थे जिनका निवल मूल्य पूरी तरह से घट गया था।

राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के लेखे प्रस्तुत करने में बकाया का विवरण नीचे ***तालिका 5.13*** में दिया गया है।

तालिका 5.13: सरकारी कंपनियों के लेखे प्रस्तुत करने में बकाया का विवरण

विवरण		राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम	लेखों की संख्या
31 मार्च 2023 तक नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कुल कंपनियों की संख्या		35	--
घटा: परिसमापन के अंतर्गत कंपनियां जिनके 2022-23 के लेखे देय नहीं थे		1	--
घटा: नई कंपनियां जिनसे 2022-23 के लिए लेखे देय नहीं थे		-	--
कंपनियों की संख्या जिनके 2022-23 के लेखे देय थे		34	34
कंपनियों की संख्या जिन्होंने नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की लेखापरीक्षा के लिए 30 सितंबर 2023 तक अपने लेखे प्रस्तुत किए		9	9
बकाया लेखों वाली कंपनियों की संख्या		25	60
बकायों का ब्रेक-अप	(i) निष्क्रिय	2	5
	(ii) प्रथम लेखे प्रस्तुत नहीं किए गए	3	12
	(iii) अन्य	20	43
'अन्य श्रेणी' के विरुद्ध बकायों का आयु-वार विश्लेषण	एक वर्ष	8	8
	दो वर्ष	5	10
	तीन वर्ष या अधिक	7	25

(स्रोत: प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) हरियाणा के कार्यालय में प्राप्त वार्षिक लेखों के आधार पर संकलित)

5.11.3 सांविधिक निगमों द्वारा लेखों को तैयार करने में समयबद्धता

दो सांविधिक निगमों[28] की लेखापरीक्षा चार्टर्ड एकाउंटेंट्स द्वारा की जा रही है और अनुपूरक लेखापरीक्षा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा की जाती है। दोनों सांविधिक निगमों में से किसी ने भी सितंबर 2023 से पहले लेखापरीक्षा के लिए अपने वर्ष 2022-23 के लेखे प्रस्तुत नहीं किए। सितंबर 2023 तक, इन दोनों सांविधिक निगमों के दो लेखे (अर्थात वर्ष 2022-23 के) लंबित थे।

[28] हरियाणा वित्तीय निगम और हरियाणा राज्य भंडारण निगम।

5.12 नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का पर्यवेक्षण - लेखों की लेखापरीक्षा और अनुपूरक लेखापरीक्षा

5.12.1 वित्तीय रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क

कंपनियों से कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III में निर्धारित प्रारूप में अपनी वित्तीय विवरणियों को तैयार करने और लेखा मानकों पर राष्ट्रीय सलाहकार समिति, जिसे राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण[29] नाम दिया गया है, के परामर्श से केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित अनिवार्य लेखा मानकों का अनुपालन करना अपेक्षित है। सांविधिक निगमों से अपने लेखाओं को नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के परामर्श से तैयार किए गए नियमों और ऐसे निगमों को नियंत्रित करने वाले अधिनियम में लेखाओं से संबंधित किसी अन्य विशिष्ट प्रावधान के अंतर्गत निर्धारित प्रारूप में तैयार करने अपेक्षित हैं।

5.12.2 सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा सरकारी कंपनियों के लेखों की लेखापरीक्षा

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 के अंतर्गत नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक राज्य सरकार की कंपनियों के लेखाओं की लेखापरीक्षा करते हैं और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 के अनुसार उन पर अपनी रिपोर्टें प्रस्तुत करते हैं।

नियंत्रक-महालेखापरीक्षक इस समग्र उद्देश्य के साथ कि सांविधिक लेखापरीक्षक उन्हें सौंपे गए कार्यों का सही एवं प्रभावी ढंग से निर्वहन कर रहे हैं, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की लेखापरीक्षा में सांविधिक लेखापरीक्षकों के निष्पादन की मॉनीटरिंग द्वारा पर्यवेक्षण की भूमिका निभाता है। इस कार्य का निर्वहन निम्न अधिकारों का उपयोग करके किया जाता है:

- कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (5) के अंतर्गत सांविधिक लेखापरीक्षकों को निर्देश जारी करना; और
- कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) के अंतर्गत सांविधिक लेखापरीक्षक के प्रतिवेदन पर अनुपूरक या टिप्पणी करना।

5.12.3 सरकारी कंपनियों के लेखों की अनुपूरक लेखापरीक्षा

कंपनी अधिनियम, 2013 या अन्य प्रासंगिक अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अनुसार वित्तीय विवरणियों को तैयार करना एक इकाई के प्रबंधन का प्रमुख उत्तरदायित्व है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 के अंतर्गत नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक, भारतीय चार्टर्ड अकाउंटैंट्स संस्थान की मानक लेखापरीक्षा प्रचलन और नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार स्वतंत्र लेखापरीक्षा के आधार पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 के अंतर्गत वित्तीय विवरणियों पर मत व्यक्त करने के

[29] 01 अक्तूबर 2018 से प्रभावी।

लिए उत्तरदायी हैं। सांविधिक लेखापरीक्षकों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 के अंतर्गत नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

सांविधिक लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन के साथ चयनित सरकारी कंपनियों के प्रमाणित लेखाओं की समीक्षा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा अनुपूरक लेखापरीक्षा के माध्यम से की जाती है। ऐसी समीक्षा पर आधारित महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां, यदि कोई हो, वार्षिक आम बैठक के समक्ष प्रस्तुत किए जाने हेतु कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) के अंतर्गत प्रतिवेदित की जाती हैं।

5.13 नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की पर्यवेक्षण भूमिका का परिणाम

5.13.1 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के लेखों की लेखापरीक्षा

अक्तूबर 2022 से सितंबर 2023 के दौरान 24 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों से वर्ष 2022-23 और पूर्ववर्ती वर्षों के 26 वित्तीय विवरण प्राप्त हुए। इन 26 वित्तीय विवरणों में से 18 की नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा में समीक्षा की गई जबकि आठ राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों को गैर-समीक्षा प्रमाण-पत्र जारी किए गए थे। समीक्षा के परिणाम नीचे विस्तृत हैं:

5.13.2 सरकारी कंपनियों पर सांविधिक लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदनों के अनुपूरक के रूप में जारी नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की महत्वपूर्ण टिप्पणियां

सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा वर्ष 2022-23 की वित्तीय विवरणियों की लेखापरीक्षा के बाद, नियंत्रक-महालेखापरीक्षक ने छः राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों की छः वित्तीय विवरणियों की अनुपूरक लेखापरीक्षा की। वर्ष 2022-23 के लिए राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों की वित्तीय विवरणियों पर जारी कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणियां, जिनका वित्तीय प्रभाव लाभप्रदता पर ₹ 55.71 करोड़ और वित्तीय स्थिति पर ₹ 4,254.96 करोड़ था, का विवरण ***तालिका 5.14*** और ***तालिका 5.15*** में दिया गया है।

तालिका 5.14 सरकारी कंपनियों की लाभप्रदता पर टिप्पणियों का प्रभाव

क्र.सं.	कंपनी का नाम	टिप्पणियां
1.	**वर्ष 2022-23 के लिए हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड**	कंपनी ने अप्रैल 2022 से मार्च 2023 तक ₹ 293.80 करोड़ की राशि के 71 कार्यों का पूंजीकरण किया, जो दिसंबर 2016 से फरवरी 2023 तक चालू किए गए थे। इन परिसंपत्तियों के मूल्यह्रास की गणना संबंधित परियोजनाओं के चालू होने की तारीख के बजाय अंतरण की तारीख अर्थात अप्रैल 2022 से मार्च 2023 तक की गई थी। इसके परिणामस्वरूप, कंपनी ने इन संपत्तियों पर ₹ 44.33 करोड़ का कम मूल्यह्रास दर्ज किया। इसके परिणामस्वरूप वर्ष 2022-23 के दौरान मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय को कम बताया गया और लाभ को ₹ 44.33 करोड़ तक अधिक बताया गया है।
2	**दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड**	कंपनी ने मई और जून 2023 में क्रमशः ईंधन मूल्य समायोजन बिल के संबंध में हरियाणा पावर जेनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड को ₹ 11.28 करोड़ और बिजली खरीद लागत के संबंध में जेपी पावर लिमिटेड को ₹ 0.10 करोड़ का भुगतान किया। ये बिल वर्ष 2022-23 से संबंधित हैं और वर्ष 2022-23 में ₹ 11.38 करोड़ के भुगतान की देयता प्रदान की जानी चाहिए थी। तथापि, कंपनी ने 2022-23 के दौरान इन बिलों के विरूद्ध कोई देयता दर्ज नहीं की थी जिसके परिणामस्वरूप अन्य मौजूदा देयताओं को ₹ 11.38 करोड़ तक कम बताया गया और उसी सीमा तक लाभ को अधिक बताया गया।

तालिका 5.15: सरकारी कंपनियों की वित्तीय स्थिति पर टिप्पणियों का प्रभाव

क्र.सं.	कंपनी का नाम	टिप्पणियां
1	**हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड**	आपूर्तिकर्ता को अग्रिम राशि ₹ 2.08 करोड़ की वसूली पार्टी के चालू बिलों से की गई (अप्रैल 2017) लेकिन इस संबंध में कोई समायोजन प्रविष्टि पारित नहीं की गई थी। इसके परिणामस्वरूप "अन्य गैर-वर्तमान परिसंपत्तियों" को अधिक बताया गया और "प्रगति पर चल रहे पूंजीगत कार्य" को ₹ 2.08 करोड़ तक कम बताया गया।
2	**हरियाणा पावर जेनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड**	'गैर वित्तपोषित देयता' के कारण कम प्रावधान के कारण ₹ 781.14 करोड़ की प्रावधान राशि को ₹ 143.24 करोड़ तक कम बताया गया था। बीमांकिक मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार ₹ 299.26 करोड़ की देयतारी के विरुद्ध ₹ 156.02 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इसके परिणामस्वरूप 'अन्य इक्विटी' को ₹ 143.24 करोड़ तक अधिक बताया गया और उस सीमा तक 'प्रावधानों' को कम बताया गया।
3	**उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड**	1. भारतीय लेखांकन मानक-19 के पैरा 63 में अपेक्षित है कि प्रतिष्ठान तुलन-पत्र में निवल परिभाषित लाभ देयता (परिसंपत्ति) को मान्यता देगा। बीमांकिक मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार, 31 मार्च 2023 को वित्त पोषित लाभों और गैर-वित्त पोषित लाभों के लिए निवल परिभाषित लाभ देयता क्रमशः ₹ 4,742.03 करोड़ और ₹ 393.86 करोड़ बनी। तथापि, कंपनी ने वार्षिक लेखों में वित्त पोषित लाभों के प्रति ₹ 1,040.08 करोड़ की देयता/प्रावधान प्रदान किया है और गैर-वित्त पोषित लाभों के प्रति कुछ भी प्रदान नहीं किया है। परिणामस्वरूप, कर्मचारियों के लाभों के लिए देयता/प्रावधान को ₹ 4,095.81 करोड़ तक कम बताया गया और अन्य इक्विटी को उसी सीमा तक अधिक बताया गया। 2. अन्य वित्तीय देयताओं में सावधि ऋण (मार्च 2023) प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार को देय गारंटी शुल्क (₹ 6.00 करोड़) और 2022-23 की अवधि से संबंधित बिजली उत्पादन कंपनियों को देय बिजली/ईंधन मूल्य समायोजन की लागत (₹ 7.83 करोड़) के कारण ₹ 13.83 करोड़ शामिल नहीं हैं जिसके परिणामस्वरूप उसी सीमा तक लाभ को अधिक बताया गया।

5.14 प्रबंधन पत्र

वित्तीय लेखापरीक्षा के उद्देश्यों में से एक, लेखापरीक्षक और कॉर्पोरेट इकाई के प्रशासन का उत्तरदायित्व संभालने वालों के मध्य वित्तीय विवरणियों की लेखापरीक्षा से सृजित होने वाले लेखापरीक्षा मामलों पर संचार स्थापित करना है। राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों की वित्तीय विवरणियों पर महत्वपूर्ण अभ्युक्तियों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (5) के अंतर्गत नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा टिप्पणियों के रूप में प्रतिवेदित किया गया था। इन टिप्पणियों के अतिरिक्त, वित्तीय रिपोर्टों में या रिपोर्टिंग प्रक्रिया में नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा पाई गई अनियमितताएं या कमियां भी सुधारात्मक कार्रवाई हेतु 'प्रबंधन-पत्र' के माध्यम से प्रबंधन को सूचित की गईं थीं। अक्तूबर 2022 से सितंबर 2023 के दौरान, 15 सरकारी कंपनियों और दो सांविधिक निगमों को प्रबंधन-पत्र जारी किए गए थे। प्रबंधन पत्रों में लेखांकन नीतियों/प्रचलनों के अनुप्रयोग/व्याख्या और कुछ महत्वपूर्ण सूचनाओं के अपर्याप्त प्रकटीकरण या गैर-प्रकटीकरण से संबंधित कमियों को इंगित किया गया था।

5.15 निष्कर्ष

31 मार्च 2023 तक, नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के अंतर्गत राज्य में 37 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (दो सांविधिक निगम और 35 सरकारी कंपनियां, तीन निष्क्रिय सरकारी कंपनियों सहित) थे।

- 2021-22 में 20 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के विरूद्ध 2022-23 में 19 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों ने अपने नवीनतम वित्तीय विवरणों के अनुसार लाभ दर्ज किया। अर्जित लाभ 2021-22 में ₹ 648.75 करोड़ से बढ़कर 2022-23 में ₹ 1,049.20 करोड़ हो गया।

- 31 मार्च 2023 तक 34 सरकारी कंपनियों के वर्ष 2022-23 के लेखे देय थे। तथापि, केवल नौ सरकारी कंपनियों ने वर्ष 2022-23 के अपने लेखे नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा के लिए 30 सितंबर 2023 तक प्रस्तुत किए। 25 सरकारी कंपनियों और दो सांविधिक निगमों के लेखे एक से छः वर्ष तक की अवधि के बकाया थे।

5.16 सिफारिशें

राज्य सरकार को चाहिए:

1. निष्क्रिय राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के संबंध में परिसमापन प्रक्रिया शुरू करने के संबंध में शीघ्र निर्णय ले क्योंकि वे न तो राज्य की अर्थव्यवस्था में योगदान दे रहे हैं और न ही उन उद्देश्यों को पूरा कर रहे हैं जिनके लिए उनकी स्थापना की गई थी।

2. उन राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों में घाटे के कारणों का विश्लेषण करे जिनकी निवल संपत्ति कम हो गई है और उनके संचालन को कुशल एवं लाभदायक बनाने के लिए कदम उठाए।

3. बकाया लेखे वाले राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों से उनके वित्तीय विवरण समय पर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करे क्योंकि उनके वित्तीय विवरणों को अंतिम रूप देने के अभाव में ऐसे राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों में सरकारी निवेश राज्य विधानमंडल की निगरानी से बाहर रहता है।

शैलेन्द्र विक्रम सिंह

चंडीगढ़ **(शैलेन्द्र विक्रम सिंह)**
दिनांक: 15 मई 2024 **प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), हरियाणा**

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली **(गिरीश चंद्र मुर्मू)**
दिनांक: 06 जून 2024 **भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक**